*कार्यालयः— मण्डलीय अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।*

आदेश संख्या / सेवा.अराज. / 741 / वरिष्ठता / 3क(2) / 2017–18 / दिनांक 09/11/17

*कार्यालय ज्ञाप*

गढ़वाल मण्डलान्तर्गत दिनांक 01 जुलाई, 2008 से दिनांक 30 जून, 2014 तक मौलिक रूप से नियुक्त / पदोन्नत / समायोजित / प्रान्तीयकृत अध्यापक / अध्यापिकाओं (सामान्य शाखा / महिला शाखा) को सूचित किया जाता है कि जनपदों से प्राप्त सूचना के आधार पर अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय द्वारा दिनांक 01.07.2008 से दिनांक 30.06.2014 तक नियुक्त समस्त अध्यापक / अध्यापिकाओं की वरिष्ठता सूची तैयार कर विभागीय वेबसाइट (**www.schooleducation.uk.gov.in**) पर उपलब्ध है। समस्त शिक्षक अपना विवरण भली–भांति जांच लें। यदि वरिष्ठता सूची में किसी प्रकार की कोई विसंगति / त्रुटि / संशोधन हो, तो प्रत्यावेदन वांछित अभिलेखों सहित विज्ञापन प्रकाशन किये जाने की तिथि से 15 दिनों के अन्तर्गत इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उक्त के अतिरिक्त यदि किसी अध्यापक / अध्यापिका का नाम वरिष्ठता सूची में अंकित किये जाने से छूट गया हो, तो प्रत्यावेदन निर्धारित प्रारूप पर मय संलग्नकों सहित निर्धारित तिथि **(विज्ञापन प्रकाशित किये जाने की तिथि से 15 दिनों के अन्तर्गत)** तक सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष / मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायें।

(महावीर सिंह बिष्ट)
प्रभारी मण्डलीय अपर निदेशक,(मा.शि.)
गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

पृ.सं. / सेवा.अराज. / 11562–71 / वरिष्ठता / 3क(2) / 2017–18 / दिनांक उक्तांकित।

प्रतिलिपिः—

1. दैनिक समाचार पत्र **अमर उजाला** को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त सूचना को अपने लोकप्रिय समाचार पत्र में **(8 X 10 c.m. भाग में) सःशुल्क** प्रकाशित करने का कष्ट करें।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
3. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, गढ़वाल मण्डल।
4. एम.आई.एस. प्रभारी विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून को वरिष्ठता सूची (ई.मेल के माध्यम से) सहित इस आशय से कि प्रेषित सूची विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध करना सुनिश्चित करें।

(महावीर सिंह बिष्ट)
प्रभारी मण्डलीय अपर निदेशक,(मा.शि.)
गढ़वाल मण्डल पौड़ी।